

रिपोर्ट पटवारी द्वारा/आदेशक द्वारा,
 पत्र के संख्या में जान की गई। निम्न अनुसार।

103
 10/5/23
 निवेदन है कि ग्राम केरपुरा में आंशिक सतह 2015-78 में (काना) सं. 70 में
 आ. के अर्ध अक्षय्य का खेती 1/4 है। कुल है। गलती जानी के बारे का किया है।
 202. जानी के अर्ध का खेती 1/4 व 1/8 के लगान का है अर्ध किया गया अर्ध है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

रिपोर्ट पटवारी द्वारा/आदेशक द्वारा
 3/5/2023
 I.R. 05/5/23

क्रमांक - राजस्व/2020/

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी प्रशासन, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आदेशक पत्र में धर्तारानुसार आदेशक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आदेशक का नाम पुस्तक किने जाने की अभिलेखा की जाती है / नहीं
 की जाती है।

आयतन उपखण्ड अधिकारी एवं एवम सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधनू (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी शर्तों पर तहसीलदार (10030)
 उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1966 की धारा 130 के अनुसरण में
 निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (10030) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्ती संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में धर्ती की जानी है।)
1	केरपुरा	2015-78	70	अक्षय्य अक्षय्य 1/4 अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य	अक्षय्य अक्षय्य 1/4 अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो खल भुगत होने के उपरान्त निर्माण की
 मालना की जावे।

क्रमांक - राजस्व/2020/82
 तिलिपि -

1. तहसीलदार (10030) उदयपुरवाटी/गुदागौड़जी को वास्ते पासनाथ।
2. प्राथी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान
 उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी

